दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, शनिवार 12 जून 2021

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

शिक्षा विभाग रायगढ़ में सहायक ग्रेड-3 के 10 एवं भृत्य के 6 पदों सहित अब तक कुल 101 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी

रायगढ़ । छत्तीसगढ़ शासन के तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत बंधन सीमा को शिथिल करने के लिए गए निर्णय के परिपालन में रायगढ़ जिले में अब तक कुल 132 आवेदनों में से दिवंगतों के 101 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। 10 जून 2021 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आदेश अनुसार सहायक ग्रेड-3 के 10 तथा भृत्य के 6 पदों पर दिवंगतों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी किया गया। जिन 16 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है, उनमें सहायक ग्रेड-3 के पदों पर कुमारी छाया देवी, सुश्री आरती सिंह गहरवार, केदारनाथ पटेल, डोलामणी भोई, आशीष दास, धर्मेश जांगड़े, योगेश शर्मा, श्रीमती संगीता नाथ, श्रीमती गायत्री पटेल, गौरव भट्ट तथा कुमारी यशोदा राठिया, श्रीमती कंचन लता सिदार, नीलकमल यादव, श्रीमती यशोदा सिदार, विक्रम कुमार सोनी, श्रीमती सविता देवी खांडे को भृत्य के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी.आदित्य ने अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वाले सभी पात्र लोगों को नई पदस्थापना हेतु शुभकामनाएं दी।

घर में घुसकर मॉ-बेटे के साथ मारपीट, चार के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। शराब पीकर घर के पास गाली-गलौच कर रहे युवक को एक थप्पड़ मारने पर चार लोगों ने पीड़िता के घर के अंदर घुसकर उसकी व बेटे की पिटाई कर दी है। मामले की रिपोर्ट गुढ़ियारी थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार गोगांव गुढ़ियारी निवासी श्रीमती चंदा देवी 40 वर्ष पति कैलाश मंदेशिया ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 10 जून को दोपहर 3 बजे के करीब पीड़िता के घर के पास वकील नाम का युवक उसे देखकर गाली-गलौच कर रहा था जिसे प्रार्थिया ने एक थप्पड़ लगा दिया। इस पर आरोपी व उसके परिवार वाले सोनु,काजल व अमरावती देवी ने पीड़िता के घर में घुसकर उसे व उसके लड़के की जमकर पिटाई कर चोट पहुंचाया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने चारों के खिलाफ अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले को 556 करोड़ 86 लाख रूपए की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों की सौगात दीं

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले में 556 करोड़ 86 लाख रूपए की लागत के 192 विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने इनमें से 231 करोड़ 18 लाख रूपए की लागत से 135 कार्यों का शिलान्यास तथा 325 करोड़ 68 लाख 20 हजार रूपए की लागत के 57 कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी उपस्थित थे।

पति ने पत्नी के सिर पर मारा हथौड़ा, गंभीर

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी के खम्हारडीह थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी से विवाद करने के बाद उसके सिर पर हथौड़ा से हमला कर घायल कर दिया। जिससे महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया है। गौरतलब हो कि इस पूरे विवाद की जड़ एक बैगा है। जो पत्नी का भाई उसके घर कुछ दिन पहले लेकर पहुंचा था। इसी बात से नाराज आरोपी पति ने पत्नी के साथ विवाद शुरू किया। चूंकि आरोपी राज मिस्त्री है इसलिए उसके घर में हथौड़ी मौजूद थी, जिससे उसने हमला किया। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली की चण्डी नगर निवासी पार्वती निषाद को उसके पति द्वारा मारपीट कर जख्मी कर दिया है। इसके बाद परिजन एंबुलेंस की मदद से पीड़िता को तत्काल अंबेडकर अस्पताल ले गए। वहां पहुंची पुलिस ने पीड़िता के बेटे गेंदलाल निषाद से पूछताछ की। बेटे ने बताया कि उसके पिता मनहरण निषाद राज मिस्त्री है और बारिश के कारण गुरूवार को उसके पिता काम पर नहीं गए गए थे। दोपहर बाद खाना खाकर उसकी मां पार्वती घर में सो रही थी। तभी उसके पिता लडाई झगड़ा करना शुरू किया। विवाद के दौरान उसके पिता बार-बार नशे में ये कह रहे थे कि तेरे भाई ने मेरे घर में बैगा को क्यों लाया था। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और आरोपी पति ने अपनी पत्नी पर हथौड़ी से हमला कर दिया। फिलहाल पीड़िता की अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गौठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटर का काम जल्द करें पूरा-कलेक्टर

» समूहों द्वारा तैयार उत्पाद राशन दुकानों में भी होंगे उपलब्ध

» कलेक्टर भीम सिंह ने लाइवलीहुड से जुड़े विभागों के कार्यों की समीक्षा की

रायगढ़। रायगढ़ जिले के चिन्हित 18 मॉडल गौठान सहित चिन्हांकित अन्य गौठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटर के लिए स्वीकृत शेड निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करें। इसी तरह मल्टी एक्टिविटी सेंटर के लिए सूचित प्रकरणों में लोन संबंधित टारगेट को लीड बैंक जल्द पूरा करें। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने शुक्रवार को आयोजित लाइवलीहुड की बैठक में कही।

कलेक्टर सिंह ने सबसे पहले गोठानो में मल्टी एक्टिविटी सेंटर स्थापित करने संबंधित बातों पर चर्चा की। उन्होंने जिले में चिन्हांकित 18 मॉडल गौठान में मल्टी एक्टिविटी सेंटर स्थापित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर सिंह ने कहा कि मल्टी एक्टिविटी सेंटर स्थापित होने से समितियों को ज्यादा लाभ होगा। कलेक्टर सिंह ने गौठान के मल्टी एक्टिविटी सेंटर से निर्मित वस्तुओं और उत्पादों की ब्रांडिंग करने और उसे मार्केटिंग करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मल्टी एक्टिविटी सेंटर द्वारा निर्मित उत्पादों को राशन दुकानों में रखने और बेचने के साथ शासकीय विभागों में सामंजस्य स्थापित कर बिक्री करने की बात कही। कलेक्टर सिंह ने मल्टी एक्टिविटी सेंटर में कार्यरत समितियों को अलग-अलग कार्यों में संलग्न करने के लिए कहा। जिससे कार्यरत महिलाओं की आय में वृद्धि हो।

इसी तरह कलेक्टर भीम सिंह ने वर्मी कंपोस्ट की बिक्री बढ़ाने और कंपोस्ट को सहकारी समितियों में रखने के निर्देश दिए। इसके बाद मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, रेशम पालन से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने लक्ष्य के हिसाब से कार्य करने और सभी को उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और अधिक से अधिक हितग्राहियों को आजीविका संबंधी गतिविधियों से जोड़कर लाभान्वित करने की बात कही।

कलेक्टर सिंह ने वर्मी कंपोस्ट पैक करने के लिए बैग बनाने की मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया की जानकारी ली और इसे जल्द से जल्द स्थापित कर वर्मी कंपोस्ट के लिए बैग की सप्लाई वहां से लेने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी तरह वन अधिकार पट्टा की भी समीक्षा की गई। उन्होंने वन अधिकार पत्र प्राप्त हितग्राहियों को मनरेगा तथा आजीविका संबंधित योजनाओं से जोड़ते हुए अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, उप संचालक पशुपालन डॉ.आर.एच.पांडेय, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अविनाश श्रीवास, सभी जनपद के सीईओ तथा आजीविका से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

❒ चारागाहों से हरे चारे की भी होगी बिक्री- कलेक्टर सिंह ने चारागाह और हरा चारा उगाने संबंधित एजेंडा पर चर्चा की। उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक चारा उत्पादन का लक्ष्य रखने कर निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने चारागाह के लिए चिन्हांकित भूमि के 75 प्रतिशत हिस्से में हरा चारा उगाने और 25 प्रतिशत हिस्से पर ही सब्जी व बागवानी फसल का उत्पादन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हरा चारा की मात्रा ज्यादा होने पर ही गौठान में ज्यादा मवेशी आएंगे और इससे गौठान और किसान दोनों को फायदा होगा। घरघोड़ा जनपद सीईओ ने बताया कि चोटीगुड़ा गांव स्थित चारागाह से एक जूरी चारा 5 रुपए के हिसाब से समिति द्वारा बिक्री भी की जा रही है। इस पर कलेक्टर सिंह ने कार्य की प्रशंसा कर सभी जनपद सीईओ को गौठानों में चारा उत्पादन बढ़ाने और उसकी बिक्री करवाने के निर्देश दिए।

❒ 500 हेक्टेयर में लगेगा मुनगा- कलेक्टर सिंह ने उद्यान विभाग के कार्यों की समीक्षा की और 500 हेक्टेयर में मुनगा उगाने के निर्देश दिये। आगे चलकर तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये मुनगा को प्रसंस्करण किया जायेगा। जिससे इम्युनिटी सिस्टम बढ़ेगी एवं मुनगा भाजी में आयरन भरपूर मात्रा में पायी जाती है जिससे कुपोषण मुक्ति में भी कमी आयेगी।

कांवर में महुआ शराब लेकर आ रहा व्यक्ति सूरजगढ़ के पास पकड़ा गया

» आरोपी से 50 लीटर महुआ शराब जप्त, सरिया पुलिस की कार्रवाई

रायगढ़ / सरिया। थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक डी.के. मारकंडे के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक विमल यादव एवं हमराह स्टाफ द्वारा आज दिनांक 11/06/2021 के दोपहर मुखबिर सूचना पर ओडिशा के ग्राम तोरा से कांवर में शराब लेकर आ रहे व्यक्ति को नाकेबंदी कर पकड़ा गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोपीनाथ साहा पिता चतुर साहा उम्र 28 वर्ष निवासी सूरजगढ थाना सरिया ओडिशा के तोरा शराब लेने गया है जिसे अवैध रूप से आसपास के गांव में बेचेगा। पुलिस नाकेबंदी कर आरोपी गोपीनाथ साहा को पैदल कांवर में शराब लाते हुये पकड़ी , जिसके कांवर के दोनों ओर 25-25 लीटर शराब रखा हुआ था। आरोपी से कुल 50 लीटर कीमती 10,000 रूपये पकड़ा गया है। कार्यवाही में प्रधान आरक्षक श्रीराम साहू, कृष्ण कुमार गुप्ता, आरक्षक दिलीप कुमार साहा, सुरेन्द्र भगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

लूटपाट मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, आरोपी से मोबाइल व लूट की पूरी रकम बरामद

» पुसौर-रायगढ़ मार्ग पर वाहन चालकों को डरा-धमकाकर रूपये मांग कर परेशान करते थे चारों युवक

रायगढ़। पुसौर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल में रायगढ़ तथा पुसौर आसपास घूम घूम कर मछली बेचने वाले से व्यवसायी से मेन रोड बड़े भंडार के पास लूटपाट करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लूट की रकम 6,000 रूपये, मोबाईल और लूट में प्रयुक्त बाइक को जप्त किया गया है।

जानकारी के अनुसार ग्राम बेलपाली बालपुर थाना चन्द्रपुर जिला जांजगीर चाम्पा में रहने वाला मछली व्यवसायी रमेश उरांव

पिता रतन उरांव उम्र 36 वर्ष दिनांक 08.06.21 को मछली बिक्री करने मो0सा0 क्र0 सीजी 13 यूडी 8482 से रायगढ आया था। मछली बिक्री कर रात्रि 10 बजे करीब अपने घर वापस जा रहा था जिसे बडे भंडार गौरीशंकर मंदिर के पास मेन रोड पर मो0सा0 एचएफ डिलक्स क्र0 सीजी 13 एएल 9088 में सवार चार रोककर मारपीट किये और उसके विवो कंपनी का मोबाईल व नगदी रकम 6,000 रू को लूटकर भाग गये। थाना पुसौर में दिनांक 10.06.21 को रमेश उरांव के रिपोर्ट पर अज्ञात चार आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 116/2021 धारा 394 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया था।

विवेचना दरम्यान पुसौर प्रभारी सउनि इगेश्वर यादव द्वारा मुखबिर सूचना पर संदेही शिव कुमार सिदार को हिरासत में लिये जिससे पूछताछ बाद उसके दोस्त भागीरथी उर्फ गोलू सारथी, रमेश निषाद और लव कुमार मैत्री को हिरासत में लिया गया। आरोपीगण पूछताछ में शराब, मुर्गा पार्टी के लिये लूटपाट करना स्वीकार किये है। आरोपी 1-शिवकुमार सिदार पिता विषिकेशन सिदार 29 साल 2-भागीरथी उर्फ गोलू सारथी पिता सोनकेश्वर सारथी 25 साल 3-रमेश निषाद पिता गुलाब निषाद उम्र 22 साल 4-लव कुमार मैत्री पिता सूरज कुमार मैत्री उम्र 21 वर्ष सभी निवासी बड़े भंडार थाना पुसौर से लूट के 6,000 रूपये, विवो कम्पनी का मोबाईल एवं लूट में प्रयुक्त बाइक एचएफ डिलक्स क्र0 सीजी 13 एएल 9088 को जप्त किया गया है। आरोपियों को आज दोपहर रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में आरोपियों की पतासाजी गिरफ्तारी में सउनि इगेश्वर यादव, प्रआर केशव देवता, आरक्षक टीकाराम बरेठ व हमराह स्टाफ की सरानीय भूमिका रही।

आदतन बदमाश कपिल सोलंकी गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस भेजी रिमांड पर

रायगढ़। थाना कोतवाली अन्तर्गत बड़े रामपुर में रहने वाले सीताराम चौहान के दुकान में मामूली विवाद को लेकर अपने साथियों के साथ झगड़ा मारपीट करने वाले आरोपी कपिल सोलंकी को कोतवाली पुलिस गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजी है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 23-11-2020 के सुबह संदीप नेताम उर्फ साकाल, संदीप का जीजा, चाहत शुक्ला, कपिल सोलंकी और उसके साथी सीताराम चौहान के दुकान में कुछ सामान लेने आये जिन्हें सीताराम सामान नहीं है बोला इतने में सभी लड़के सीताराम से झगड़ा विवाद कर घर घुसकर सीताराम, उसके बेटे मनीष चौहान से राड, डंडा से मारपीट किये थे, थाना कोतवाली में रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध अपक्र 916/2020 धारा 294, 506, 323, 452, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दरम्यान आहत मनीष चौहान के मेडिकल रिपोर्ट पर प्रकरण में धारा 325 आईपीसी जोड़ी गई व आरोपी संदीप नेताम उर्फ सकाल, राजेश सिदार को दिनांक 09/ 01/ 2021 को गिरफ्तार कर दिनांक 08/03/2021 को चालान न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण के आरोपी चाहत शुक्ला उर्फ आदित्य शुक्ल पिता स्वर्गीय अरुण शुक्ला उम्र 20 साल निवासी रेलवे कॉलोनी काली निकेतन मंदिर के पास रायगढ़ को दिनांक 03/04/2021 को गिरफ्तार कर पूरक चालान न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण का आरोपी कपिल सोलंकी फरार था। फरार आरोपी कपिल सोलंकी आदतन मारपीट का आदी होने की शिकायत पर थाना प्रभारी कोतवाली मनीष नागर अपने स्टाफ एवं मुखबिर को आरोपी पतासाजी में लगाये थे, आज मुखबीर सूचना पर स्टाफ द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कपिल सोलंकी अपने दोस्त चाहत शुक्ला, संदीप नेताम उर्फ सकाल के साथ हंडी चौकी के पास मारपीट में भी शामिल था जिस संबंध में कोतवाली थाने में 467/2020 धारा 294,506,323,34 भादवि+ 25,27 आर्म्स एक्ट भी कायम है। आरोपी कपिल सोलंकी पिता जयराम सोलंकी उम्र 30 वर्ष निवासी गुजराती पारा रायगढ़ हाल मुकाम डिपो रोड बैकुंठपुर यूनिवर्सल के बगल में रायगढ़ थाना कोतवाली रायगढ़ के पास से मारपीट में प्रयुक्त का डंडा जप्त कर रिमांड पर भेजा गया है, शीघ्र कोतवाली पुलिस दोनों अपराधों में पूरक चालान पेश करेगी। आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी में टीआई मनीष नागर, प्रधान आरक्षक शंकर क्षत्रिय, महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर आरक्षक संजीव पटेल की सक्रिय भूमिका रही।

समावेशी शिक्षा अंतर्गत निःशक्त बच्चों के उपयोग व थेरेपी के लिए प्राप्त उपकरणों के संचालन एवं उपयोग संबंधित कार्यशाला आयोजित

रायगढ़ । राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत विकास खण्ड स्त्रोत केन्द्र रायगढ़ में समावेशी शिक्षा अंतर्गत निःशक्त बच्चों के उपयोग व थेरेपी के लिए प्राप्त उपकरणों के संचालन हेतु बैठक आयोजित की गई। जिसमें राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा दिव्यांग बच्चों हेतु सहायक उपकरण स्पीच किट, ओक्यूपेशनल थैरेपी किट, फिसिओ थैरेपी किट आदि सहायक उपकरण प्राप्त हुए। इन उपकरणों के उपयोग के बारे में डॉ.सिद्धार्थ सिन्हा व डॉ.खुशबू पटेल द्वारा विस्तार से बताया गया। बैठक में विकास खंड के 09 बीआरपी (समावेशी शिक्षा) सत्यप्रकाश पैंकरा, श्रीमती शांति ठाकुर, श्रीमती सुमित्रा चंद्रा, अशोक निराला, श्रीमती रजनी जांगड़े, श्रीमती अनसुइया पांडे, श्रीमती गुरुवारी, श्रीमती सरल चंद्रा, श्रीमती सुमन्ना दत्ता व 9 हेल्पर (आया) उपस्थित होकर उपकरणों के उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किये। उक्त आयोजित बैठक में जिला मिशन समन्वयक रमेश देवांगन व एपीसी भुनेश्वर पटेल, भूपेंद्र पटेल एवं विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक मनोज अग्रवाल मौजूद रहे।

वर्ष 2015 से फरार धोखाधड़ी का आरोपी हुआ गिरफ्तार, भिलाई से हिरासत में लेकर आई कोतरारोड पुलिस

» आरोपियों का नेटवर्क ओरिजिनल फर्नेस आयल की जगह नकली आयल कंपनियों में सप्लाई करती थी

रायगढ़। कोतरारोड़ पुलिस धोखाधड़ी के फरार आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार कर लाई है, आरोपी को आज रिमांड पर पेश किया गया है , आरोपी के विरूद्ध शीघ्र धारा 173(8) के तहत पूरक चालान पृथक से न्यायालय में पेश किया जावेगा।

जानकारी के अनुसार माह अप्रैल वर्ष 2015 में हिंदुस्तान पैट्रोलियम लिमिटेड मंदिर हसौद से 28,000 लीटर फर्नेस आयल जेएसपीएल पतरापाली के लिए वाहन क्रमांक सीजी 04 एचक्यू 4745 का बिल्टी जारी किया गया था। वाहन मालिक दुलेश्वर प्रसाद द्वारा ड्रायवर सुरेंद्र तथा अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने टैंकर वाहन सीजी 04 एचक्यू 4736 में बिल्टी जारी किये गये वाहन का नंबर प्लेट को लगाकर टेंकर में असली आयल प्राप्त कर लिये और नकली फर्नेस आयल प्लाटों में धोखाधड़ी कर सप्लाई करने का काम कर रहे थे। माह अप्रैल वर्ष 2015 में रायगढ़ पतरापाली के पास टैंकर वाहन सीजी 04 एचक्यू 4736 को लावरिस हालत में खड़ी पाकर धारा 102 सीआरपीसी के तहत जप्त किया गया था, जिसके वाहन स्वामी का पताकर कोतरारोड़ पुलिस इस धोखाधड़ी को उजागर की थी जिस संबंध में थाना कोतरारोड़ में वाहन मालिक, ड्रायवर व अन्य के विरूद्ध अपराध क्रमांक 110/2015 धारा 420, 471, 34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दरमियान वाहन मालिक 1- दुलेश्वर प्रसाद पिता प्रेमलाल रामटेके निवासी छतोना मंदिर हसौद, 2- उसके पिता प्रेमलाल रामटेके ,3-मोहम्मद नसीम शेख पिता असलम शेख निवासी सराय खेम थाना मुरदाबाद शाहपुर जिला जौनपुर उत्तरप्रदेश हाल मुकाम छतोना मंदिर हसौद रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय पेश किया गया था। प्रकरण में फरार आरोपी वाहन चालक व वाहन मिस्त्री का कार्य करने वाले हैं जिनकी पतासाजी कोतरारोड़ पुलिस द्वारा की जा रही थी। आरोपी वाहन चालक सुरेंद्र यादव, सोनू कुमार, शत्रुघ्न , राजेश जायसवाल, खुशरजा खान, रिजवान अहमद फरार थे।

थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक चमन सिन्हा को वाहन मिस्त्री का कार्य करने वाले आरोपी रिजवान अहमद भिलाई जोन- 3 में छिपे होने की जानकारी मिलने पर उनके द्वारा थाने से सहायक उपनिरीक्षक डीपी भारद्वाज, आरक्षक टिकेश्वर यादव, राजेश खांडे, करूणेश राय को भिलाई रवाना किए। कोतरारोड़ स्टाफ द्वारा आरोपी रिजवान अहमद पिता तहुवर अली उम्र 35 वर्ष निवासी भिलाई जोन-3 सड़क 10, क्वार्टर नंबर 4 एफ थाना खुर्सीपार जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) को भिलाई से हिरासत में लेकर थाना लाया गया है जिसे न्यायिक अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए रिमांड पर आज पेश किया गया है। आरोपी के विरुद्ध पृथक से धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत चालानी कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण के चार आरोपी फरार हैं जिनकी पतासाजी में कोतरारोड़ पुलिस लगी हुई है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480